

झारखण्ड सरकार
आदिवासी कल्याण आयुक्त कार्यालय, झारखण्ड मंत्रालय, कल्याण कॉम्प्लेक्स, मोराबादी, राँची।

पत्रांक-03/छात्रवृत्ति विज्ञापन-01/2016- 753

प्रेषक,

नमन प्रियेश लकड़ा, भा0प्र0से0,
आदिवासी कल्याण आयुक्त।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक : 13/08/2021

विषय : - विज्ञापन प्रकाशन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि झारखण्ड राज्य के बाहर मान्यता प्राप्त बी0एड0 महाविद्यालयों के शैक्षणिक सत्र-2020-22 के लिए वर्ष-2021 में नामांकन लेने वाले छात्र-छात्राओं हेतु शैक्षणिक सत्र-2020-21 के लिए एवं शैक्षणिक सत्र-2021-22 हेतु नए शैक्षणिक संस्थानों द्वारा ई-कल्याण पोर्टल पर पंजीकरण एवं पंजीकृत संस्थानों द्वारा नवीनीकरण झारखण्ड अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ी जाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली, 2018 के अन्तर्गत प्रक्रियात्मक कार्रवाई के लिए ई-कल्याण पोर्टल खोलने संबंधी आवश्यक सूचना से संबंधित विज्ञापन सामग्री तैयार की गई है।

अनुरोध है कि उक्त विज्ञापन को राज्य तथा राज्य के सभी प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में प्रकाशित करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक: यथोक्त।

विश्वासभाजन,

१२/०८/२१

आदिवासी कल्याण आयुक्त।

ज्ञापांक: 753

राँची, दिनांक : 13/08/2021

प्रतिलिपि : Centre for Good Governance, Hyderabad को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

१२/०८/२१

आदिवासी कल्याण आयुक्त।

ज्ञापांक: 753

राँची, दिनांक : 13/08/2021

प्रतिलिपि : सभी उपायुक्त, झारखण्ड/सभी परियोजना निदेशक, समेकित जनजाति विकास अभिकरण, झारखण्ड/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। साथ ही अनुरोध है कि इसका व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाय।

१२/०८/२१

आदिवासी कल्याण आयुक्त।

ज्ञापांक: 753

राँची, दिनांक : 13/08/2021

प्रतिलिपि : सरकार के सचिव, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची को विभागीय पत्रांक-1731, दिनांक-13.08.2021 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

१२/०८/२१

आदिवासी कल्याण आयुक्त।



झारखण्ड सरकार


आदिवासी कल्याण आयुक्त कार्यालय, झारखण्ड मंत्रालय, कल्याण कॉम्प्लेक्स, मोराबादी, राँची।

आवश्यक सूचना

झारखण्ड राज्य के बाहर मान्यता प्राप्त बी०एड० महाविद्यालयों के शैक्षणिक सत्र-2020-22 के लिए वर्ष-2021 में नामांकन लेने वाले छात्र-छात्राओं हेतु शैक्षणिक सत्र-2020-21 के लिए एवं शैक्षणिक सत्र-2021-22 हेतु नए शैक्षणिक संस्थानों द्वारा ई-कल्याण पोर्टल पर पंजीकरण एवं पंजीकृत संस्थानों द्वारा नवीनीकरण झारखण्ड अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ी जाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली, 2018 के अन्तर्गत प्रक्रियात्मक कार्रवाई हेतु ई-कल्याण पोर्टल को निम्नानुसार खोला जाता है :-

क्र०	प्रक्रियात्मक कार्रवाई	ई-कल्याण पोर्टल बन्द होने की तिथि
1	झारखण्ड राज्य एवं राज्य के बाहर मान्यता प्राप्त बी०एड० महाविद्यालयों के शैक्षणिक सत्र-2020-22 के लिए वर्ष-2021 में नामांकन लेने वाले छात्र-छात्राओं हेतु शैक्षणिक सत्र-2020-21 के लिए आवेदन प्रक्रिया की अंतिम तिथि।	30.09.2021
2	संबंधित शैक्षणिक संस्थान द्वारा छात्र-छात्राओं के आवेदन के सत्यापन की अंतिम तिथि।	20.10.2021
3	नए शैक्षणिक संस्थानों द्वारा ई-कल्याण पोर्टल पर पंजीकरण एवं पंजीकृत संस्थानों द्वारा नवीनीकरण हेतु आवेदन की अंतिम तिथि	31.08.2021

आवेदन की प्रक्रिया तथा अन्य दिशा निर्देश <https://ekalyan.cgg.gov.in> पर देखी जा सकती है।


आदिवासी कल्याण आयुक्त।